न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 87/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
चुन्नीलाल पुत्र बींजा जाति माली निवासी निमाज तहसील जैतारण		1 मदनलाल पुत्र चुन्नीलाल 2 कानाराम पुत्र चुन्नीलाल 3 राजूराम पुत्र चुन्नीलाल 4 शांतिदेवी पत्नी राजूराम जातिगण माली निवासीगण निमाज तहसील जैतारण 5 उपं पंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16/3/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 8476/2015 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 स 5 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर ग्राम निमाज के खसरा नम्बर 1231, 1233, 1234, 1235, 1235/1 व 1232 कुल खसरा 6 जिसका कुल रकबा 79 बीघा 8 बिस्वा भूमि में अपना 124 हिस्सा घोषित कराने का निवेदन किया तथा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट को बेचान हस्तान्तरण से रोकने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन

किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर एकपक्षीय आदेश के जरिये अपीलाण्ट को वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया। अपीलाण्ट वादस्थ भूमि का रेकर्डेड खातेदार है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का ससुर है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया है, उसमें जैर अपील वादस्थ भूमि को पुश्तैनी होना बताया है। जबकि यह जाहिर ही नहीं किया कि बींजा के जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का जन्म भी हुआ था अथवा नही ? इस कारण पुश्तैनी की अवधारणा ही साबित नहीं होती। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 न तो खातेदार है तथा न ही खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना साबित हुआ है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश के जरिये एक रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करने की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3 की पालना की जानी आज्ञापक है, जो हस्तगत प्रकरण में नहीं की गई, इस कारण भी जैर अपील आदेश अपास्त योग्य है। इन समस्त कारणों से अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि पुश्तैनी है, जिसमें रेस्पोडेन्ट्स का भी हक हिस्सा निहित है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषित कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट जैर अपील वादस्थ भूमि का बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा थे, जिसे रोका जाना आवश्यक होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जरिये अन्तरिम आदेश के पाबन्द किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। यह निर्विवादित तथ्य है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हकों का निर्धारण मूल वाद में प्रक्रिया अनुसार ही होना है, किन्तु इस दौरान यदि अपीलाण्ट वादस्थ भूमि का बेचान कर देते है, तो वाद बाहुल्यता होगी, जिसे रोकने के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अन्तरिम व्यादेश के जरिये पाबन्द किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें।

बहस' पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा वाद प्रस्तुत कर जैर अपील वादस्थ भूमि बींजा की होना तथा बींजा के पश्चात अपीलाण्ट के नाम दर्ज होने से उक्त भूमि को पुश्तैनी होना बताते हुए जैर अपील वादस्थ भूमि में अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया तथा अपीलाण्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की प्रथम सुनवाई में ही एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट को जरिये अन्तरिम व्यादेश के

जैर अपील वादस्थ भूमि बेचान हस्तान्तरण नही करने हेतु पाबन्द किया गया है। प्रकरण में जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को न तो सुनवाई का अवसर दिया गया है एवं न ही नोटिस जारी किया गया है। इस प्रकार की कार्यवाही हेतु विधि में जो प्रक्रिया विहित की गई है, उसके अनुसार विरोधी पक्षकार को आवेदन की सूचना दिए बिना व्यादेश दे दिया जाता है, तो उस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3 में विहित प्रक्रिया की पालना की जानी आवश्यक है, जो हस्तगत प्रकरण में नहीं की गई है। इस अनुसार आदेश पारित करने के तुरन्त पश्चात आवेदन, आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र, वाद पत्र एवं उन दस्तावेजात् की प्रतियां, जिन पर आवेदक निर्भर है, की प्रति विरोधी पक्षकार को देगा या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा एवं उस तारीख को जिसको ऐसा व्यादेश दिया गया है या उस दिन के ठीक अगले दिन को यह कथन करने बाला शपथ पत्र फाईल किया जावेगा कि पूर्वोक्त प्रतियां इस प्रकार दे दी गई है या भेज दी गई है। हस्तगत प्रकरण में जैर अपील आदेश की सूचना आदेश पारित होने के 11 दिवस के पश्चात जारी की गई है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3 का उल्लंघन है, इस कारण आदेश 39 नियम 4 के तहत उक्त आदेश अपास्त योग्य पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाण्ट उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा वर्तमान में राजस्व रेकर्ड अनुसार रेस्पोडेन्ट किसी भी रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। अब जैर अपील वादस्थ भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का हक हिस्सा निहित हैं अथवा नही ? इस तथ्य का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चित होने पर ही होगा, किन्तु यदि इस परिस्थिति में एक रेकर्डेड खातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर उसकी कृषि संक्रियाओं से महरूम किया जाता है, तो निश्चय ही उसके हक हकूक प्रभावित होंगे, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः इस अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलेक्टर जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 8476/2015 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के अनुसार विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.3.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली